

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277010
SG-DL-E-10102026-277010असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 246
No. 303]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948	[N. C. T. D. No. 246

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2026

फा. सं. एआरडी-के011/1/2026-प्रशा0-प्रशासनिक सुधार (एआर)/1/183088/2026.— इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर 2001 तथा 19 अप्रैल 2002 की अधिसूचना संख्या फा0.17/6/2001/प्रशा0सु0 के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 2 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद्वारा लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इसके साथ संलग्न अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे:-

1. दिनांक 19.04.2002 की अधिसूचना के परिशिष्ट-I में

निम्नलिखित को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
60	लोक निर्माण विभाग	सहायक प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

शमीम अख्तर, विशेष सचिव (प्रशासनिक सुधार)

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2026

F. No. ARD-K011/1/2026-Admin-ADMINISTRATIVE REFORMS (AR)/I/183088/2026.— In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR dated 3rd October 2001 and 19th April, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 2 (a) of the Delhi Right to Information Act, 2001 (Delhi Act No 7 of 2001), the Hon'ble Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment specified in the Annexure-I appended thereto for the purpose of the said Act in respect of the Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette :-

1. In Appendix –I to the Notification dated 19.04.2002

The following shall be substituted as-

S.NO.	Name of the Department	Competent Authority
60	Public Works Department	Assistant Administrative Officer

By Order and in the Name of Hon'ble Lt. Governor of
The National Capital Territory of Delhi

SHAMIM AKHTAR, Special Secy. (AR)